भारत सरकार

जनजातीय कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 1329

उत्तर देने की तारीख- 11.02.2026

डीएनटी के लिए कानूनी और संवैधानिक मान्यता

1329. प्रो. मनोज कुमार झा:

श्री संदोष कुमार पी:

क्या ***जनजातीय कार्य*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमुक्त, घुमंतू और अर्ध-घुमंतू समुदायों (डीएनटी) को मौजूदा अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणियों से अलग कानूनी और संवैधानिक मान्यता देने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मान्यता के लिए प्रस्तावित तंत्र का ब्यौरा और आवश्यक विधायी या संवैधानिक संशोधनों को पेश करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री
(श्री दुर्गादास उइके)

(क) और (ख): प्रश्न का विषय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से सम्बंधित है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने सूचित किया है:

"ऐसा कोई प्रस्ताव या योजना विचाराधीन नहीं है।"
